



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2896]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2016/अग्रहायण 17, 1938

No. 2896]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2016/AGRAHAYANA 17, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2016

का.आ. 3684(अ).—नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 के 44) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, श्री पुनीत कुमार गोयल, कमिश्नर, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एनडीएमसी) के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन से, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 05 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2239 (अ.) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में, मद संख्या (ग)(iv) के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित मद संख्या तथा प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iv) श्री पुनीत कुमार गोयल

कमिश्नर,

साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन”

[फा. सं.14011/23/2014-दिल्ली-II]

हितेश कुमार मकवाना, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना दिनांक 05 सितम्बर, 2014 के का.आ.सं.2239(अ.) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और उसके उपरांत 05 नवम्बर, 2014 के का.आ. सं. 2827(अ), 24 फरवरी, 2015

314

के का.आ. सं. 609(अ), 05 मार्च 2015 के का.आ. सं. 681(अ), 08 जुलाई 2015 के का.आ. सं. 1848 (अ), 07 जनवरी, 2016 के का.आ. सं. 44 (अ), 17 मार्च, 2016 के का.आ. सं.1152 (अ) और 22 अप्रैल, 2016 के का.आ. सं. 1486 (अ), के तहत संशोधित की गई थी।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th December, 2016

**S. O. 3684(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby nominates Shri Puneet Kumar Goel, Commissioner, South Delhi Municipal Corporation as a member of the New Delhi Municipal Council (NDMC), and for that purpose, makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, number S.O.2239(E) dated the 5<sup>th</sup> September, 2014 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

In the said notification, in paragraph 1, for item number (c)(iv) and the entry relating thereto, the following item number and entry shall be substituted namely:-

“(iv) Shri Puneet Kumar Goel  
Commissioner,  
South Delhi Municipal Corporation.”

[F. No. 14011/23/2014-Delhi-II]

HITESH KUMAR MAKWANA, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O.2239(E) dated the 5<sup>th</sup> September, 2014 and subsequently amended vide S.O. 2827(E) dated 5<sup>th</sup> November, 2014, S.O. No. 609(E) dated 24<sup>th</sup> February, 2015, S.O. No. 681(E) dated 5<sup>th</sup> March, 2015, S.O. No. 1848(E) dated 8<sup>th</sup> July, 2015, S.O. No.44(E) dated 7<sup>th</sup> January, 2016, S.O. No. 1152(E) dated 17<sup>th</sup> March, 2016 and S.O. No. 1486(E) dated 22<sup>nd</sup> April, 2016.